


कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर कार्यालय-आदेश

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के शासनआदेश सं०-16/2015/594/सत्तर/2/2015 /16(246)/2010 दिनांक 23 जुलाई 2015 द्वारा नवसृजित असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर श्री रामेन्द्र सिंह सोलंकी व्या.इतिहास राउमावि, भदियाना, धोलपुर चयनित होने पर जिनकी विभाग में कार्यग्रहण दिनांक 29.06.2017 है एवं एनपीएस कार्मिक है। श्री सोलंकी का व्याख्याता पद पर स्थायीकरण दिनांक 29.06.2019 को किया गया।

श्री सोलंकी का उत्तर प्रदेश के उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन होने के फलस्वरूप टेक्नीकल त्याग पत्र की स्वीकार किए जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना के आधार पर प्रस्तुत टेक्नीकल त्यागपत्र राजस्थान सेवानियम 22 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.13(1)वित्त/नियम/ 2003 दिनांक 07.09.2006 के तहत तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है एवं टेक्नीकल त्याग पत्र स्वीकृति दिनांक 28.06.2020 से इनका उक्त पद व्याख्याता(स्कूल शिक्षा) इतिहास से पदाधिकार समाप्त किया जाता है, विभाग में इनका लियन नहीं रहेगा।



(सौरभ स्वामी)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-2/इति-वाणि/त्यागपत्र/2020

दिनांक:- 16/10/2020

प्रतिलिपि:- प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक -स्कूल शिक्षा
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
3. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अद्यतन करने हेतु।
4. अनुभाग अधिकारी शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा को उक्तानुसार कार्मिक के कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण कार्यवाही की मोनितरिंग करावें।
5. संबंधिता संस्था/शाला/प्रधानाचार्य को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करवाये।
6. संबंधित कार्मिक
7. निजी /रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)